मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 10/3/2006/1/9 भोपाल, दिनांक 6 /02/2006

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

समस्त विभागाध्यक्ष

मध्यप्रदेश शासन,

विषय- शासन के सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण अ... किए जाने बावत्।

राज्य शासन सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण निम्न शर्तों के साथ अनिवार्य करता है:-

1. संलग्न परिशिष्ट-1 पर दिया गया पाठ्यक्रम कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
2. प्रथम चरण में कोष एवं लेखा, वाणिज्यिक कर, परिवहन, राजस्व, महानिरीक्षक मुद्रांकन एवं पंजीयन विभाग में प्रशिक्षण अनिवार्य होगा! इन विभागों का चयन इस आधार पर किया गया है कि इन सभी में जिला स्तरीय कार्यालयों तक कम्प्यूटराईजेशन हो चुका है।
3. ऐसे विभाग जहां भविष्य में जिला स्तरीय कार्यालयों तक कम्प्यूटराईजेशन किया जाता है, वहां निर्णय लेने की तिथि से प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
4. प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एजेंसियों का निर्धारण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। कर्मचारी/अधिकारी निर्धारित एजेंसियों में से किसी भी एजेंसी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
5. प्रशिक्षण उपरान्त शासकीय इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेकनिक कालेज एवं आई.टी.आई. जहां कम्प्यूटर उपलब्ध है, में प्रमाणीकरण परीक्षा समय-समय पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए सॉफ्टवेयर आदि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार करवाया जाएगा। परीक्षा आयोजित करने के लिए संस्थाओं को देय शुल्क का निर्धारण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।
6. प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण पर व्यय की जाने वाली राशि प्रारंभिक तौर पर कर्मचारी/अधिकारी द्वारा वहन की जाएगी। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने पर राशि कर्मचारी/अधिकारी से संबंधित विभाग द्वारा कर्मचारी/अधिकारी को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

7. अगली पदोन्नति के लिए उपरोक्त प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। नई भर्तियों के लिए भी उपरोक्त प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

8. तृतीय वर्ग एवं उससे वरिष्ठ सभी स्तरों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

9. ऐसे विभाग जहाँ कम्प्यूटर उपलब्ध है, में एक वर्ष में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि एवं जहाँ कम्प्यूटर नहीं है वहाँ तीन वर्ष में सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर एक अग्रिम वेतन-वृद्धि स्वीकृत की जाएगी।

10. सभी विभाग सेवा भर्ती नियमों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण को अनिवार्य करने एवं पदोन्नति से पूर्व सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने को आवश्यक शर्त के रुप में जोड़ने के लिए संशोधन करेगें।

11. 55 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

12. प्रशिक्षण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए भी अनिवार्य होगा।

13. प्रशिक्षण लेने के लिए कर्मचारी/अधिकारी भोजन अवकाश उपरान्त कार्यालय से जा सकेंगे। प्रशिक्षण की अवधि एक माह होगी।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्या० आयुक्त आदि० विकास
म.प्र.

पृ० / क्र० / स्था / 3 / सर्कुलर / 06
(1) आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र. / संभागीय ... / ... / ... वल्लभ भवन
समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र.
समस्त जिला संयोजक आ० जा० क० वि० (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)
उपायुक्त
आदि० विकास
म.प्र.